

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राजस्थान

प्रकरण संख्या 11/24

दायरा दिनांक 11.06.2024

पीठासीन अधिकारी - श्री मुकेश चन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

- 1-करन पुत्र मंगू जाति भील निवासी कृपालपुर तहसील शाहाबाद जिला-बारां राज0
- 2-रानू पुत्र मंगू जाति भील निवासी कृपालपुर तहसील शाहाबाद जिला-बारां राज0
- 3-पूजली पुत्री मंगू जाति भील निवासी कृपालपुर तहसील शाहाबाद जिला-बारां राज0
- 4-गोबरी पुत्री मंगू जाति भील निवासी कृपालपुर तहसील शाहाबाद जिला-बारां राज0

प्रार्थीगण

बनाम

स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट

आदेश दिनांक 12.06.2025

उपस्थित

प्रार्थी की ओर से - श्री अरविन्द शर्मा एडवोकेट


अप्रार्थी की ओर से - परोकार सरकार

प्रार्थनापत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम कृपालपुर पटवार हल्का राजपुर में ख0नं0 177/711 रकबा 15.00 बीघा कृषि भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी में स्थित है। प्रार्थी द्वारा अपनी भूमि का सीमांकन/पैमाईश करवाने हेतु अप्रार्थी को आवेदन पेश किया। अप्रार्थी द्वारा दिये गये आदेश क्रमांक/एल.आर./2024/816 दिनांक 02.05.2024 की पालना में हल्का पटवारी को प्रार्थी की भूमि की पैमाईश करनी थी, लेकिन हल्का पटवारी ने बिना मौके पर जाये आदेश की पालना किये वगैर दिनांक 27.05.2024 को मिथ्या रिपोर्ट बना दी कि प्रार्थी का कब्जा नहीं है, पैमाईश नहीं की जा सकती है। हल्का पटवारी द्वारा जानबूझकर मिथ्या आधार बनाकर पैमाईश से इनकार किया है, जबकि पूर्ववर्ती गिरदावरी सम्वत 2074-77 में प्रार्थी द्वारा काश्त की गई फसलों का स्पष्ट इन्द्राज है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सीमांकन कर स्थायी सीमाचिन्ह पत्थरगढी करवाना चाहते हैं, इस बावत यह प्रार्थनापत्र पेश है। अतः प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम कृपालपुर पटवार हल्का राजपुर में ख0नं0 177/711 रकबा 15.00 बीघा की पत्थरगढी करवाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गई। सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम कृपालपुर सम्वत 2074 से 2077 खाता संख्या 12 अनुसार प्रार्थी विवादित भूमि ख0नं0 177/711 रकबा 15.00 बीघा का रिकार्डेड खातेदार हैं। प्रस्तुत मौका रिपोर्ट हल्का पटवारी अनुसार मौके पर आराजी ख0नं0 177/711 रकबा 15.00 बीघा पर प्रार्थीगण का कब्जा नहीं होना पाया

12.06.2025  
उपखण्ड अधिकारी  
शाहाबाद

गया है, परन्तु प्रस्तुत नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2076 अनुसार प्रार्थीगण का कब्जा दर्ज रिकार्ड है, इस आधार पर पत्थरगढी के आदेश दिया जाना उचित पाया जाता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहाबाद को आदेशित किया जाता है कि वे मौके पर विवादित आराजी ख0नं0 177/711 रकबा 15.00 बीघा का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करावें, तथा कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी सक्षम न्यायालय में नियमानुसार वाद दायर करें। पालनार्थ तहसीलदार शाहाबाद को निर्णय की प्रति प्रेषित की जावे। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 12.06.2025 को सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण पत्रावली फैशलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

  
12/06/2025  
उपरखण्ड अधिकारी  
शाहाबाद